राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, बीकानेर

Email-bikaner.we@rajasthan.gov.in,ph-01512226018
धनलक्ष्मी महिला समृद्धि कंद्र,पंचायत समिति परिसर, बीकानेर

क्रमांक 789   दिनांक 22-8-25

विज्ञप्ति संख्या – 03 / वर्ष 2025–26

जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु विभागीय आदेश 38229 दिनांक 14.10.2022 के क्रम में उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, बीकानेर कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है –

क्र. सं.	कार्यालय का नाम व ई–मेल आई.डी./फोन.नं.	साथिनों की रिक्त संख्या	
		परियोजना	ग्राम पंचायत का नाम
1.	कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता, धनलक्ष्मी महिला समृद्धि कंद्र पंचायत समिति परिसर, बीकानेर **Email:-** bikaner.we@rajasthan.gov.in Ph - 01512226018	बीकानेर ग्रामीण	बेलासर – 01 किलचू देवडान – 01 नालासर– 01 पलाना–01
		लूणकरणसर	साबणियाँ – 01 कागासर – 01
		पांचू	ढिगसरी – 01 धरनोक – 01
		श्रीडूंगरगढ़	जैतासर– 01 रीडी– 01 आडसर – 01 जैसलसर – 01
		पूगल	खारबारा– 01 भानीपुरा – 01
		खाजूवाला	14 BD – 01
		कोलायत	राणासर – 01 भाणे का गाँव – 01 लम्बाना भाटियान – 01

- मानदेयकर्मी साथिन पद पूर्णतः स्वैच्छिक है एवं विभागीय परिपत्र 38229 दिनांक 14.10.2022 एवं निदेशालय के संशोधित पत्रों की शर्तो व समय–समय पर जारी विभागीय निर्देशों के अध्यधीन है।
- योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र (2 प्रतियों में) इस कार्यालय में व्यक्तिशः **दिनांक 23.09.2025 दोपहर 02:00 बजे** तक जमा करा सकेगी।
- विज्ञप्ति के संबंध में ग्राम पंचायतवार मानदेय कर्मी साथिनों की रिक्त संख्या तथा पात्रता आदि संबंधी विस्तृत जानकारी एवं आवेदन फर्म विभागीय वेब साईट http://www.wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
- इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय समय में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(डॉ. अनुराधा सक्सेना)
उपनिदेशक
महिला अधिकारिता
बीकानेर

क्रमांक : 790-817
प्रतिलिपि:–   दिनांक : 22-8-25

1. श्रीमान आयुक्त महिला, अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बीकानेर ग्रामीण / लूणकरणसर / पांचू / श्रीडूंगरगढ़ / पूगल / खाजूवाला / कोलायत को देकर निवेदन है कि संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को रिक्त साथिन पद पर चयन हेतु ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार–प्रसार कर अंतिम तिथि तक अधिकतम आवेदन इस कार्यालय में भिजवाने बाबत् निर्देशित करावे।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी बीकानेर ग्रामीण / लूणकरणसर / पांचू / श्रीडूंगरगढ़ / पूगल / खाजूवाला / कोलायत ।
5. प्रचेता/सुपरवाईजर महिला अधिकारिता ब्लॉक बीकानेर ग्रामीण / लूणकरणसर / पांचू / श्रीडूंगरगढ़ / पूगल / खाजूवाला / कोलायत को भेजकर लेख है कि ग्राम पंचायत / पंचायत समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा कर व्यापक प्रचार–प्रसार कर अधिकतम आवेदन भिजवाना सुनिश्चित करे।
6. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, संबंधित ग्राम पंचायत को व्यापक प्रचार–प्रसार कर अधिकतम आवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता राज, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत्।
8. संपादक, राजस्थान पत्रिका बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि बीकानेर जिले के ग्रामीण एवं शहरी संस्करण में [illegible] न्यूनतम साईज में विज्ञप्ति प्रकाशित करने का श्रम करावे।
9. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा, ब्लॉक / पंचायत समिति में चस्पा हेतु।
10. रक्षित पत्रावली

RajKaj Ref No.:
17323813
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Anuradha Saxena
Designation : Deputy Director
Date: 2025.08.22 11:40:12 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

साथिन की भर्ती से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश

1. पंचायत समिति वार साथिन की रिक्त पदो की स्थिति –

पंचायत समिति का नाम	साथिन रिक्त पद ग्राम पंचायत का नाम
1. बीकानेर ग्रामीण	बेलासर – 01 किलचू देवडान – 01 मालासर– 01 पलाना–01
2. लूणकरणसर	साबणिया – 01 कागासर – 01
3. पांचू	ढिगसरी – 01 धरनोक – 01
4. श्रीडूंगरगढ़	जैतासर– 01 रीडी– 01 आडसर – 01 जैसलसर – 01
5. पूगल	खारबारा–01 भानीपुरा – 01
6. खाजूवाला	14BD – 01
7 कोलायत	राणासर – 01 भाणे का गॉंव – 01 लम्बाना भाटियान – 01

2. चयन हेतु वांछित पात्रता

i. **स्थानीय निवासी होना:–** साथिन पद के लिए आवेदनकर्ता महिला संबंधित ग्राम पंचायत की निवासी होनी चाहिए तथा आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जानी अनिवार्य है। (मूल निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेजों की छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/जन आधार कार्ड/आधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/ग्राम विकास अधिकारी / सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में भी किया जाये) विधवा महिला व तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।

ii. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है।

iii. **वैवाहिक स्थिति :–** आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक नहीं है।

iv. **शैक्षणिक योग्यता :–** साथिन पद हेतु न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

v. **आयु:–** आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी लेकिन अनुसूचित जाति जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग, विधवा तलाकशुदा: परित्यकता एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित प्रमस्तिक घात रोगमुक्त कुष्ठ बौनापन तेजाब आक्रमण के पीडित पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण में आयु 45 वर्ष तक की होगी। (विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को)

- विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया है. इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अकन आवश्यक होगा।
- परित्यक्ता व तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर (न्यायालय / उपखण्ड अधिकारी) से जारी आदेश/डिक्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजो में संलग्न किया जाये।

vi. चयन हेतु मूल्यांकन मानदण्ड साथिन चयन हेतु उनके मूल्यांकन मानदण्ड संलग्न परिशिष्ट व के अनुसार होगा जिसमें अलग–अलग बिन्दुओं के अलग–अलग अंकभार निर्धारित होगे

vii. **श्रेणीवार आंरक्षण :–**

- जिन ग्राम पंचायतों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन ग्राम पंचायतों हेतु आरक्षित उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा। ग्राम पंचायत में जनसंख्या की गणना ग्राम विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जनगणना रिपोर्ट के आधार पर की जानी चाहिए।

RajKaj Ref No.: 17323813
eSign 1.0
Signature valid
Digitally signed by Anuradha Saxena
Designation : Deputy Director
Date: 2025.08.22 11:40:12 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08 2019 के अनुसार पिछडा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के जारी प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। (क्रीमी लेयर मे नही होने संबंधित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त भी अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नही है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ लेकर पूर्व में जारी जाति प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जाये, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है) अर्थात आवेदक महिला का पिछडा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण–पत्र विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जायेगे व इस संबंध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागू होगे।

viii. <u>सामान अंक आने की स्थिति</u>

- दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में निम्न क्रम में वरीयता दी जाएगी–

1. विधवा, इनमें भी समान होने पर जो सबसे कम उम्र की विधवा हुई हो।
2. तलाकशुदा, इनमें भी समान होने पर जो सबसे कम उम्र की तलाकशुदा हुई हो।
3. अधिकतम आयु वाली महिला

   उक्त में भी दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक व एक ही जन्म दिनांक की महिला होने की स्थिति में निम्न वरीयता प्रदान की जाये–

वरीयता	विषय
प्रथम	1. स्नातकोत्तर में प्राप्तांक 2. स्नातक में प्राप्तांक 3. 12 वीं कक्षा में प्राप्तांक 4. 10 वीं कक्षा में प्राप्तांक (जिस कक्षा में आधार पर अंकभार दिये गये हो, वही मान्य होगें)
द्वितीय	कम्पयूटर में उच्चतम योग्यता
तृतीय	NTT/DPSE Course, Approved bu NCTE and conducted with approval/consent to State Government of Rajasthan. Or B.ED/BSTC Approval by NCTE and conducted with approval/consent of State Government of Rajasthan.

- इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता बीकानेर से प्राप्त की जा सकती है।

(डॉ. अनुराधा सक्सेना)
उपनिदेशक
महिला अधिकारिता
बीकानेर

RajKaj Ref No.:
17323813
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Anuradha Saxena
Designation : Deputy Director
Date: 2025.08.22 11:40:12 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner